न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 73/2019

आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड (पूर्व में ज्ञात नाम ए.यू. हाऊसिग फाईनेंस लिमिटेड) 201–202, 2 द्वितीय तल साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर –302020

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति सुनिता देवी पत्नी श्री श्रीराम मीणा, पता– कुशल मीणा की ढाणी, जसोता, दौसा राजस्थान–303303, दूसरा पता– पट्टा नं0 74, बुक नं0 2, मिसल नं.8, संकल्प नं. 5, ग्राम पंचायत जसोता, पं.स. दौसा तहसील व जिला दौसा राजस्थान।
2. श्री श्रीराम मीणा पुत्र श्री भगवान सहाय मीणा पता– मीणा मौहल्ला, जसोता, दौसा, राजस्थान–303303
3. श्री प्रहलाद पुत्र श्री कल्याण सहाय पता– जयसिंहपुरा, पापरेडा, दौसा, राजस्थान–303506

अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री राजेश उदाला, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश दिनांकः 10.7.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड (पूर्व में ज्ञात नाम ए.यू. हाऊसिग फाईनेंस लिमिटेड) ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्रीमति सुनिता देवी पत्नी श्री श्रीराम मीणा, पता– कुशल मीणा की ढाणी, जसोता, दौसा राजस्थान–303303, दूसरा पता– पट्टा नं0 74, बुक नं0 2, मिसल नं. 8, संकल्प नं. 5, ग्राम पंचायत जसोता, पं.स. दौसा तहसील व जिला दौसा राजस्थान व अन्य को 7,50,000/–(रूपये सात लाख पचास हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड (पूर्व में ज्ञात नाम ए.यू. हाऊसिग फाईनेंस लिमिटेड)को सुना गया। हमने प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड (पूर्व में ज्ञात नाम ए.यू. हाऊसिग फाईनेंस लिमिटेड) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड (पूर्व में ज्ञात नाम ए.यू. हाऊसिग फाईनेंस लिमिटेड) को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई सम्पत्ति श्रीमति सुनिता देवी पत्नी श्री श्रीराम मीणा की सम्पत्ति पट्टा नं0 74, बुक नं0 2, मिसल नं.8, संकल्प नं. 5, क्षेत्रफल 1950 वर्गफीट, ग्राम पंचायत जसोता, पं.स. दौसा तहसील व जिला दौसा जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड (पूर्व में ज्ञात नाम ए.यू. हाऊसिग फाईनेंस लिमिटेड) को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 10 जुलाई, 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official